न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या :–16 / 2025 दायर दिनांकः 20.5.2025

GCMS NO:- 2025/116 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. गिरीराज आ0 लटूर जाति बैरवॉ नि0 भामर तहसील नैनवॉ।
2. दीपक आ0 लटूर जाति बैरवॉ नि0 भामर तहसील नैनवॉ जर्ये वली संरक्षक माता मांगीबाई पत्नी लटूर जाति बैरवॉ नि0 भामर तहसील नैनवॉ।
3. मांगीबाई पत्नी लटूर जाति बैरवॉ नि0 भामर तहसील नैनवॉ।
4. रामरतन आ0 चुन्नीलाल जाति बैरवॉ नि0 भामर तहसील नैनवॉ।
5. रामलाल आ0 चुन्नीलाल जाति बैरवॉ नि0 भामर तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदेव आ0 कल्याणनाथ जाति बाबाजी नि0 मानपुरा ग्रा.प. डोडी तहसील नैनवॉ।
2. शोजी आ0 सेठनाथ जाति बाबाजी नि0 मानपुरा ग्रा.प. डोडी तहसील नैनवॉ।
3. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक सिंह सिसोदिया।

निर्णय दिनांक 20.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा दिनांक 23.5.2018 को वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251क के तहत् इस न्यायालय मे पेश किया गया था जिसमे वादीगण द्वारा ग्राम बांसी प0म0 बांसी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 603 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2747, 2753 कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि जो कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है, मे जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 2756 आम रास्ते से होते हुए वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2754 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे खसरा नम्बर 2754 मे होता हुआ वादीगण के खसरा नम्बर 2753 पर जाने के लिए 25 फीट चौडे रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से प्रदर्शित अनुसार भू राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने का निवेदन किया गया था। उक्त वाद पत्र को दर्ज कर तत्समय प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व दिनांक 24.4.219 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वादीगण अधिवक्ता की बहस वादपत्र सूनी जाकर वादीगण द्वारा परिशिष्ट अ अनुसार चाहा गया रास्ता जो वादीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2753 मे, गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 2756 से खसरा नम्बर 2754 मे से होकर रास्ता दिये जाने बाबत् दिनांक 26.02.2020 को निर्णय पारित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2020 को पारित निर्णय की अपील प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां की गयी जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2024 को निर्णय पारित कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.02.2020 को निरस्त कर अपीलाण्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सरकारी 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 15.10.2024 की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को पुनः तलब किया गया।

आज दिनांक 20.6.2025 को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी उपस्थित रहे तथा अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक सिंह सिसोदिया ने वकालातनामा पेश किया। साथ ही उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा पेश कर इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 26.2.2020 से पूर्ण रूप से सहमत होने से व दोनों पक्षकारान ने आपसी सहमति व राजीखुशी राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश करने से उक्त राजीनामा को तरदीक फरमाकर निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्षकारान द्वारा समक्ष न्यायालय जो राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया। उसका अवलोकन किया तथा पाया कि उभय पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से राजीखुशी उक्त राजीनामा प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया है कि वह इस न्यायालय द्वारा पूर्व दिनांक 26.2.2020 को जो निर्णय इस पत्रावली मे पारित किया था, उससे सहमत है जिससे उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र तस्दीक किया गया अतः उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बास्ते राजीनामा बाद तस्दीक स्वीकार होकर पत्रावली मे पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ

पेश
20/6/25

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, निवाई
वाद सं० 16/RS/2025

गिरिराज आदि V/s. रामदेव आदि
वाद - अन्तर्गत धारा 251(क) R.T. Act

प्रार्थना पत्र - वास्ते राजीनामा

मान्यवर महोदय,

पक्षकारान निम्नलिखित रूप से राजीनामा प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि उपर्युक्त उनवान के वाद मे सुनवाई हेतु आज की पेशी नियत है।

(2) यह कि उक्त उनवान के वाद मे वादीगण द्वारा ग्राम बांथी की भूमि खसरा संख्या 2747, 2753 कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी के आने जाने कृषि यंत्र आदि ले जाने हेतु परिशिष्ट "क" नक्शा ट्रेस अनुसार 13 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किये जाने में हम प्रतिवादी रामदेव को किसी प्रकार से आपत्ति नही है मौके पर उक्त रास्ता चालू है जिसमें होकर पक्षकारान आते जाते हैं। न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 26.2.2020 को पारित निर्णय से पूर्ण रूप से सहमत हूं।

(3) यह राजीनामा आज दिनांक को हम दोनो पक्षकारान ने आपसी सहमति व राजीखुशी पेश किया है, जिसमें किसी प्रकार का एतराज नही है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि पक्षकारान का राजीनामा तस्दीक करवाकर निर्णय पारित करने की कृपा करें।

दिनांक - 20.6.2025

वादीगण
4. रामरतन s/o चुन्नीलाल
5. रामलाल s/o चुन्नीलाल
शेष 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता

प्रतिवादी
रामदेव s/o कल्याणनाथ बाबाजी r/o मानपुरा पो० ठोली, तह० निवाई

रामरतन
रामलाल
रामदेव
Identified by